



Neutral Citation No.- 2026:AHC:130405

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21709 वर्ष 2026

सतपाल

..... आवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता: सैयद अली इमाम

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या.- 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद अली इमाम और राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 डॉ. एस.बी. मोर्य को सुना गया।
- यह जमानत आवेदन पत्र, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 83/2026, धारा 305(ई), 331(4), 317(2) बी.एन.एस, पुलिस थाना सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में विचारण के लंबित रहने के दौरान, जमानत पर निरमुक्त करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि हालांकि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक अतिचार, चोरी और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है, लेकिन आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और इनमें अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- उन्होंने अग्रेतर निवेदन किया कि वास्तव में पुलिस आवेदक के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है और उसे झूठे मामलों में फंसाती रही है, और पहले भी 18 मामलों में पुलिस ने आवेदक को झूठा फंसाया था और केवल उसके पूर्व आपराधिक इतिहास के कारण पुलिस ने आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया है।
- उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि आवेदक का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास इस जमानत आवेदन पत्र में स्पष्ट किया गया है और सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि इस मामले में आवेदक 09.04.2026 से जेल में है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का 20 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए अन्य तर्क का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन को सुन लिया है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
9. हालांकि, आवेदक के खिलाफ चोरी, आपराधिक अतिचार और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है और उसका 20 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।
10. अग्रेतर, आवेदक का पूरा आपराधिक इतिहास इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और यह दर्शाता है कि सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।
11. अग्रेतर, आवेदक के आपराधिक इतिहास से पता चलता है कि उसके सभी पिछले मामले चोरी के हैं और सभी मामलों में जांच के दौरान आवेदक को वर्तमान मामले की तरह ही आरोपी बनाया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि केवल उसके पिछले आपराधिक इतिहास के कारण ही उसे वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है, को खारिज नहीं किया जा सकता।
12. अग्रेतर, यह स्थापित कानून है कि यदि अन्यथा जमानत का मामला बनता है तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी आरोपी की जमानत आवेदन पत्र को आमतौर पर रोका नहीं जाना चाहिए।
13. अग्रेतर, वर्तमान मामले में आवेदक 09.04.2026 से जेल में है।
14. अतः, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर निर्मुक्त होने की हकदार है।
15. तदनुसार, मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



16. आवेदक - **सतपाल** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोका जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जाए।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25 जून, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

कुमार मनीष